

# भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय

लालूनगर, मधेपुरा - 852113 (बिहार)



पत्रांक:.....


दिनांक:.....

## अधिसूचना

सरकार के अपर सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-14/ए.एफ.-52/2023-2393, दिनांक- 12.12.2023 के द्वारा संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, कीर्ति नगर, मधेपुरा (राजकीय अनुदान प्राप्त स्थायी सम्बद्ध प्राप्त ईकाई) को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम बी.सी.एस. (B.C.A) एवं बी.बी.ए. (B.B.A) में त्रिवर्षीय शैक्षणिक सत्र- 2023-26 से निम्नलिखित निर्धारित छात्र संख्या के साथ स्थायी संबंधन की स्वीकृति प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	निर्धारित छात्र संख्या
01.	बी.सी.एस. (B.C.A)	60 (Sixty) प्रति वर्ष
02.	बी.बी.ए. (B.B.A)	60 (Sixty) प्रति वर्ष


माननीय कुलपति के आदेश से


  
कुलसचिव 5.1.24

ज्ञापांक- जी.एस. (I/C-Sc.-307/22)-007/24..... दिनांक- 05.01/2024

प्रतिलिपि अग्रसारित- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

01. प्रधानाचार्य/सचिव, संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, कीर्ति नगर, मधेपुरा।
02. सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
03. निदेशक (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
04. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना।
05. नोडल पदाधिकारी, यू.एम.आई.एस., भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
06. कुलपति के निजी सहायक/कुलसचिव के आशुलिपिक ग्रेड-01, भू. ना. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

  
कुलसचिव 5.1.24

  
05/1/24

पत्रांक:-14/ए.एफ.-52/2023-2393

बिहार सरकार  
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

पटना, दिनांक 12/12/2023

विषय:- संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, मधेपुरा का संबंधन एवं सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-665/2023 दिनांक-12.06.2023 द्वारा संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, मधेपुरा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम B.C.A एवं B.B.A में संबंधन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव एवं महाविद्यालय से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, मधेपुरा को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2)(क) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम B.C.A एवं B.B.A में शैक्षणिक सत्र 2023-26 से 60-60 सीटों के साथ स्थायी संबंधन तथा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक:-14/ए.एफ.-52/2023-2393

पटना, दिनांक-12/12/2023

प्रतिलिपि:-निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव/प्राचार्य, संत अवध कीर्ति नारायण डिग्री महाविद्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.12.23

सरकार के अपर सचिव।